

व्यवसाय शुरू करने के लिए कैसे करें 'बिज़नेस लोन' का आवेदन

'धन से धन कमाया जाता है' - यह अर्थशास्त्र की एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसका अभिप्राय यह है कि जितना अधिक धन आपके पास होगा, उतना ही अधिक धन कमा पाना आपके लिए आसान होगा। इससे यह बिल्कुल साफ है कि किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए 'पूँजी' बहुत ही अहम कारक है; चाहे आपका व्यवसाय एक स्थापित संस्था हो या आप एक नए ज़माने के उद्यमी हैं और किसी नये व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसी भी नये व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए न सिर्फ़ कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है, बल्कि; कार्यालय के लिए स्थान, कर्मचारियों के वेतन हेतु और



अन्य विविध खर्चों जैसे - बिजली और टेलीफोन के बिल आदि के लिए भी पूँजी की आवश्यकता होती है। ऐसे अनेक छुपे हुए खर्चों एवं व्यापार को सुचारु रूप से संचालन के लिए 'बिज़नेस स्टार्ट-अप लोन' हर आकार के बिज़नेस (बड़े, मध्यम या छोटे) के अनुरूप उपलब्ध है।

उद्यमियों की इन्हीं ज़रूरतों के मद्देनज़र अनेक वित्तीय संस्थायें जैसे - अग्रणी बैंक, बचत एवं ऋण कंपनियाँ, और वाणिज्यिक बैंकों ने आसान व्यापार ऋण (बिज़नेस लोन) की सुविधा मुहैया करा रही है।

बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एन.बी.एफ.सी.) से लोन

इसमें कोई शक नहीं कि लोन के लिए बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान उद्यमियों की पहली पसंद है; परन्तु, व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्री सुशील मुन्होत के अनुसार, "किसी भी उद्यमी को बैंक से लोन तभी लेना चाहिए जब व्यवसाय स्थापित हो गया हो और उद्यमी उसे अब वृहत पैमाने पर ले जाना चाहता है।" चूँकि व्यवसाय के प्रारंभ में सफलता को लेकर बहुत-सी अनिश्चिततायें बनी रहती हैं, उद्यमी को चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार ही पूँजी का निवेश करें। ज़रूरत हो तो साझेदार को शामिल करें ताकि व्यवसाय का ज़ोखिम कम-से-कम हो।

सामान्यतः बैंक या वित्तीय संस्थान 'लोन-टू-वैल्यू अनुपात' (लोन राशि / व्यवसाय के लिए आवश्यक कुल अनुमानित राशि) का 80-से-90 प्रतिशत तक ऋण देती है। लोन की राशि उद्यमी के क्रेडिट-स्कोर एवं जमानत के रूप में जमा की गई वस्तु या सम्पत्ति की कीमत पर निर्भर करता है। बैंक लोन छोटी या लम्बी अवधि के लिए लिया जा सकता है; लेकिन, आमतौर पर लम्बी अवधि की लोन स्थापित व्यवसाय के लिए दी जाती है।

वित्तीय संस्थायें दो प्रकार के ऋण की पेशकश करती हैं:-

(क) सुरक्षित ऋण (सिक्योर्ड लोन), और

(ख) असुरक्षित ऋण (अन-सिक्योर्ड लोन)

(क) **सुरक्षित ऋण:** सुरक्षित बिज़नेस लोन के लिए उधार लेने वालों को अपनी कीमती वस्तु या सम्पत्ति के कागज़ात ऋणदाता के पास बंधक के रूप में रखनी होती है। यह सोना, कोई आभूषण, ज़मीन के कागज़ात या ऋणदाता के शर्तों के अनुसार कोई कीमती सामान हो सकता है। इस प्रकार के लोन में ब्याज-दर अपेक्षाकृत कम होता है, और लोन - राशि की सीमा भी अधिक होती है।

(ख) **असुरक्षित ऋण:** जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इस प्रकार के ऋण के लिए किसी तरह की ज़मानत या सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन, इस लोन की सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसमें ब्याज-दर काफी ऊँचा होता है। दूसरी बात यह कि ऋण-दाता बैंक या वित्तीय संस्थान सुरक्षित लोन की तुलना में बहुत कम राशि की मंजूरी देती है। लोन के इस प्रकार के अन्तर्गत लोन की अवधि भी बहुत छोटी होती है।

ऋण के लिए आवेदन कैसे करें:

किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण के लिए आवेदन करने से पहले उद्यमी को चाहिए कि बिज़नेस प्लान अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि ऋणदाता संस्था को आश्वस्त कर सकें कि आपका बिज़नेस मुनाफ़ेवाला है; और उनकी पूँजी को कोई जोखिम नहीं है। कैसे आमदनी होगी एवं एवं कितना खर्च होगा आदि स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। इसलिए, बैंक जाने से पहले आश्वस्त कर लें कि आय-प्रमाण-पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट्स के साथ-साथ बैंक को ऋण अदायगी का प्लान आपके पास है। बैंक ऋण की मंजूरी आपकी साख एवं ऋण अदायगी की क्षमता के आधार पर करती है। वे देखना चाहते हैं कि आपको अपनी व्यवसाय की सफलता पर इतना भरोसा है की इसमें अपनी पूँजी भी लगा रहे हैं। वे यह भी जानना चाहेंगे कि आपको या जो इस व्यवसाय को चलायेगा उन्हें कार्य का अनुभव एवं दक्षता है या नहीं।

इसलिए, ऋण के लिए आवेदन करने से पहले आप अच्छी तरह से कागज़ी कार्रवाई कर लें।